



माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल

(Setup by Act.No.15, 1990 of M.P. Legislative Assembly)

Websites - www.mcu.ac.in

छात्रावास के निर्देश -

1. छात्रावास से बाहर रहने, स्थानीय अभिभावक के घर रुकने की लिखित अनुमति कार्यालयीन दिवसों में एक दिन पूर्व अपने विभागाध्यक्ष से प्राप्त कर चीफ वार्डन के माध्यम से छात्रावास प्रभारी के पास जमा करवायें। अनुमति के अभाव में बाहर जाने एवं रुकने की अनुमति प्रदान नहीं की जा सकेगी।
2. विद्यार्थियों को स्पष्ट निर्देश है, कि छात्रावास के समय का अनुपालन करें। बिना अनुमति देर से आने पर 100/- अर्थ देय होगा। पुनरावृत्ति होने पर विद्यार्थी को निष्कासित किया जा सकता है।
3. छात्रावास में विद्यार्थियों को रात्रिकालीन उपस्थिति रजिस्टर में निर्धारित समय पर स्वयं आकर उपस्थिति दर्ज करना आवश्यक है। विद्यार्थियों के लगातार अनावश्यक रूप से अनुपस्थित रहने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जायेगी तथा रुपये 50/- (प्रति अनुपस्थिति) का अर्थदंड देय होगा।
4. छात्रावास आवेदन-पत्र में विद्यार्थियों के अभिभावकों द्वारा परिचय कराये गये स्थानीय संरक्षक, अभिभावक का पूरा नाम, पता, फोन नम्बर, ई-मेल, फोटो आदि के साथ आधार कार्ड देना अनिवार्य होगा।
5. छात्रावास में स्थान स्वयं के निवास हेतु तथा केवल शिक्षा अध्ययन के लिए है। इसमें किसी भी प्रकार का अनैतिक, अवैधानिक कार्य, किसी भी रूप में नशीले पदार्थों का सेवन करना, नशा करके छात्रावास में आना या नशीले पदार्थ जैसे - ड्रग्स, सिगरेट, शराब, चरस, गांजा, भांग एवं अन्य नशीले पदार्थ अपने पास रखना दंडनीय अपराध है। ऐसा करते पाये जाने पर उसे छात्रावास के साथ-साथ विश्वविद्यालय से भी निष्कासित किया जायेगा।
6. विद्यार्थी अपना वाहन चिन्हित पार्किंग में ही खड़ा करेंगे।
7. विद्यार्थियों को रहवासी क्षेत्र, पानी की टंकी, पॉवर प्लांट, जंगल झाड़ियों, केबल नालियों इत्यादि में जाना प्रतिबंधित है।
8. किसी भी प्रकार की पूर्व गम्भीर बीमारी के बारे में चीफ वार्डन/प्रभारी को जानकारी देना आवश्यक है।
9. अपने सामान की हिफाजत रखना विद्यार्थी की स्वयं जिम्मेदारी है। किसी भी विद्यार्थी के रुपये, मोबाईल, घड़ी, कपड़े आदि कीमती सामान गुम हो जाने पर छात्रावास प्रबंधक की कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी।
10. छात्रावास के कमरे में पंखा, ट्यूबलाइट, बल्ब के अलावा अन्य विद्युत उपकरण जैसे-इलेक्ट्रिक कैटल, इंडक्शन, पानी गर्म करने की रॉड इत्यादि का उपयोग करना सख्त मना है, उपरोक्त उपकरणों का उपयोग करते पाए जाने पर अर्थदंड रुपये 200/- तक देय होगा एवं उक्त सामान जब्त कर लिया जायेगा।
11. छात्रावास की सम्पत्ति को किसी भी प्रकार से नुकसान पहुंचाने पर सम्बन्धित विद्यार्थी को पूरा हर्जाना देना होगा। सम्बन्धित विद्यार्थी की जानकारी नहीं होने पर या अन्य विद्यार्थियों द्वारा सम्बन्धित विद्यार्थी की जानकारी उपलब्ध नहीं कराने पर सभी विद्यार्थियों की कौशनमनी से हर्जाने का रूपया काटा जायेगा तथा अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
12. छात्रावास के कमरों, दीवार, अलमारी, खिड़की, दरवाजों पर किसी भी प्रकार के पोस्टर, लाईटिंग, कील ठोकना, गुब्बारे लगाना, स्केच बनाना, स्टीकर चिपकाना इत्यादि सख्त मना है। यदि कोई विद्यार्थी कमरों की दीवारों को गंदा करता है तो अर्थदंड रुपये 500/- देय होगा।
13. विद्यार्थियों को उपलब्ध करवायी गई अलमारी एवं लॉफ्ट की चाबी गुम हो जाने एवं नयी चाबी बनाने का वास्तविक व्यय (अनुमानित रुपये 1000/-) विद्यार्थी को देना होगा।
14. दीवाली, होली, रंगपंचमी, जन्मदिन आदि अन्य अवसरों के समय हॉस्टल के कमरे, दीवार गंदी नहीं करें अन्यथा अर्थदंड रुपये 500/- देय होगा।
15. पानी अमूल्य है अतः व्यर्थ न बहाएं। पानी की जो भी उचित व्यवस्था प्रशासन द्वारा की जायेगी, उसको मान्य करना होगा। सर्दियों में गर्म पानी प्रातः 7 बजे से 10 बजे तक सिर्फ दिसम्बर, जनवरी, फरवरी में उपलब्ध

- गर्मियों में पानी मार्च, अप्रैल, मई, जून माह में प्रातः 7 से 10 बजे एवं शाम 5 से 7 बजे पर ही पानी की सप्लाई की जायेगी। यदि किसी कारणवश पानी की सप्लाई में आकस्मिक परेशानी होती है तो तत्कालीन व्यवस्था जो भी उपलब्ध होगी स्वीकार्य करना होगा। बाथरूम के नल एवं गीजर बन्द करना आवश्यक है।
16. रात्रि 11 बजे के बाद अपने कमरे, बालकनी आदि स्थानों पर तेज संगीत, नाच-गाना और शोर मचाना जिससे दूसरों कमरों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के अध्ययन में व्यवधान उत्पन्न हो दंडनीय है। उक्त निर्देश का पालन न करने पर अर्थ दंड रुपये 200/- प्रत्येक तक हो सकता है।
 17. कमरे के बाहर जाते समय ट्यूबलाईट, पंखे, बन्द करके जाना अनिवार्य है अन्यथा कमरे के रहवासी विद्यार्थी को प्रतिदिन 100/- जुर्माना देना होगा।
 18. गीले कपड़ों को फर्नीचर, कैमरे पर नहीं सुखाया जायेगा। बालकनी में निर्धारित स्थान पर ही कपड़े इत्यादि सुखाने के लिए उपयोग करना होगा। अन्य जगह पर कपड़ों को सूखता हुआ पाये जाने पर रुपये 100/- अर्थदंड देय होगा।
 19. विद्यार्थी को जुर्माना/अर्थदंड राशि नगद/ऑनलाईन (QR Code) कोड के माध्यम से जमा करना होगा।
 20. छात्रावास में विद्यार्थियों से सहयोगी स्टाफ एवं कर्मचारियों के साथ उचित व्यवहार एवं भाषा का उपयोग अपेक्षित है। स्टॉफ एवं कर्मचारियों के साथ अशिष्ट व्यवहार करने पर विद्यार्थी को छात्रावास से निष्काषित किया जा सकता है।
 21. किसी भी विद्यार्थी को कमरों में भोजन, चाय-नाश्ता आदि बनाने अथवा ले जाने की अनुमति नहीं है। छात्रावास में टिफिन मंगवाने की सुविधा प्रतिबंधित है।
 22. विद्यार्थियों को छात्रावास छोड़ते समय छात्रावास प्रशासन द्वारा कक्ष में दिए गए सामान (पलंग, गद्दा, गद्दे का कवर, पर्दे, अलमारी, चाबी, स्टडी टेबल, कुर्सी, डस्टबिन इत्यादि) को उचित हालत में वापस करना अनिवार्य होगा। दिए गए सामान में कमी होने पर सामान का मूल्य छात्रावास में जमा करवाया जाना अनिवार्य होगा।
 23. यदि विद्यार्थी बिना किसी पूर्व लिखित सूचना के सत्र के मध्य में छात्रावास रिक्त करता है अथवा उसे छात्रावास से निष्काषित किया जाता है तब भी उसे छात्रावास का पूरा त्रैमासिक शुल्क जमा करना अनिवार्य होगा एवं उसकी जमा छात्रावास कॉशनमनी राशि वापस नहीं होगी।
 24. छात्रावास त्रैमासिक शुल्क निर्धारित माह की 1 तारीख से 10 तारीख के मध्य एम.पी.ऑनलाईन के माध्यम से जमा करवाना अनिवार्य है। शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि के पश्चात नियमानुसार विलम्ब शुल्क देय होगा।
 25. छात्रावास प्रशासन द्वारा छात्रावास से निष्कासन निम्न परिस्थितियों में किया जा सकता है –
 - (1) विद्यार्थी ने यदि छात्रावास के उपरोक्त नियमों या संचालक मंडल की अवहेलना की हो।
 - (2) विद्यार्थी ने या पालक/अभिभावक ने गलत जानकारी प्रस्तुत की हो।
 - (3) नियमानुसार छात्रावास शुल्क जमा नहीं करने पर।
 - (4) विद्यार्थी की बीमारी/रोग/संक्रमण से किसी अन्य विद्यार्थी पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बीमारी/रोग/संक्रमण का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो (जैसे किसी प्रकार का संक्रामक रोग)।
 - (5) व्यक्तिगत स्वच्छता न रखे जाने पर।
 - (6) विद्यार्थी किसी अवांछित या अवैधानिक गतिविधियों में लिप्त पाए जाने पर।
 - (7) ड्रग्स, सिगरेट, शराब, नशीली दवाई आदि के सेवन करने पर।
 26. मेस संधारण सम्बन्धित सुझाव/शिकायतों के लिए छात्रावास में रजिस्टर उपलब्ध होगा। विद्यार्थी इसका उपयोग कर सकते हैं। किसी अन्य समस्या/शिकायत हेतु विद्यार्थी विभागाध्यक्ष के माध्यम से चीफ वार्डन को अपना आवेदन प्रस्तुत करेंगे।
 27. विश्वविद्यालय एवं छात्रावास प्रबंधन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।
 28. कुलपति का निर्णय अंतिम मान्य एवं बाध्यकारी होगा।


 22/07/26
 (डॉ.बबिता अग्रवाल)
 चीफ वार्डन